पत्र सं0-बी-4-वाहन क्रय -आउट सोर्सिंग से वाहन व्यवस्था-2019-20// 113 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाँक :: 05 अप्रैल , 2020

**सर्वश्री आस्था टूर्स एण्ड ट्रवेल्स,**
**31,सरस्वतीपुरम,अर्जुनगंज,लखनऊ।**

शासन से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 की निविदा शर्तों के अधीन निविदा में स्वीकृत न्यूनतम दरों पर चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण होने की तिथि तक आउटसोर्सिंग के आधार पर 100 वाहन [स्कार्पियो / बोलेरो / टाटा सूमो इत्यादि SUV एवं इंडिगो / स्वीफ्ट डिजायर / अमेज इत्यादि SEDAN] वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित जोनल / सम्भागीय खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये उपलब्ध कराये गये वाहनो की सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियमानुसार उपलब्ध कराये गये वाहनों का भुगतान भी अपने स्तर से समय से करना सुनिश्चित करें। नियम व शर्तों के उल्लंघन/शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित वाहन का भुगतान आप द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि को जब्त करके कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जमा F.D.R. का नवीनीकरण एवं विभाग के पक्ष में अनुबन्ध का पंजीयन वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु (नवीन निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने की तिथि तक) कराना सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर (स्था0 अराज0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व हित में अपने जोन से सम्बन्धित वाहनों का आवंटन राजस्व हित में अपने स्तर से भी कर सकते हैं, एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि उनको आवंटित वाहनों की सूचना Outsourced Vehicle Module में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे आउटसोर्सिंग वाहनों का भुगतान समय से किया जा सके।
2. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

05-4-19

डिप्टी कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।